न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/236

1. गीता देवी पत्नी विमल कुमार जाति महाजन ।
2. टीकम जैन आत्मज विमल कुमार जाति महाजन ।
3. मोहन लाल आत्मज विमल कुमार जाति महाजन ।
4. लेखराज आत्मज विमल कुमार जाति महाजन निवासी ढाढूण हाल निवास ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. रामावतार आत्मज हरचन्दा जाति खाती हाल निवास ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. दशरथ आत्मज हरचन्दा जाति खाती ।
3. रामराय आत्मज हरचन्दा जाति खाती ।
4. कमला पत्नी हरचन्दा जाति खाती निवासीगण हाल बून्दी जिला बून्दी ।
5. नूरका बाई पत्नी कल्याण जाति खाती ।
6. मुकेश कुमार आत्मज गोपाल जाति खाती ।
7. विनोद कुमार आत्मज गोपाल जाति खाती ।
8. रामभरोसी पुत्री गोपाल जाति खाती हाल निवासी ग्राम देई तहसील नैनवा जिला बून्दी।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैनवा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री मनोज चांचोंदिया, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 29.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय 01.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 लगायत 04 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम ढाढूण तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या नया 63 में खसरा नम्बर 724 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 725 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 731 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 732 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 753 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण को आपसी सहमति से विभाजन में प्राप्त हुई थी । प्रार्थीगण उक्त भूमियों के बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर आने–जाने तथा कृषि के उपकरण लाने ले जाने का सदैव या अपने पूर्वजों के समय से 100 वर्षों से भी अधिक पुराना रास्ता ग्रम चन्दनपुरा से ढाढूण जाने वाली आम डमरीकृत सडक में से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर कृषि भूमि खसरा नम्बर 745, 734, 723, 733 व 725 के बीच स्थित मेड के सहारे – सहारे उत्तरी दिशा की तरफ स्थित खसरा नम्बर 724 तक पहुंचता है जो कदीमी रास्ता है । जिस पर नरेगा योजनान्तर्गत झीकरा डालकर ग्रेवल रास्ता खसरा नम्बर 745, 734 व 733 तक की बी मेड में बना हुआ है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व नक्शा ट्रेस में अंकित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को बन्द करने पर आमादा है । प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता कभी नहीं रहा है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 733, 723, 725, 724 व उसमें बने हुए मकान पर आने–जाने ट्रेक्टर, ट्रोली आदि कृषि उपकरण एवं लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडाई का रास्ता चन्दनपुरा से ढाढूण जाने वाले डामरीकृत आम रास्ते से दक्षिण से उत्तर की ओर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि के बीच स्थित मेड के सहारे–सहारे उत्तरी दिशा की तरफ स्थित खसरा नम्बर 724 तक राजस्व नक्शे में कायम किया जावे मौके पर भी उक्त रास्ते की मुस्तकिल सीमाएं कायम की जावे तथा अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 को पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थीगण को उक्त रास्ते के उपयोग व उपभोग करने से नहीं रोंके ।

4. अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अप्रार्थी क्रम 5 लगायत 9 में इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया ।

6. परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट मोडसा में रखते हुए अपने आदेश दिनांक 01.11.2021 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि पर पहुंचने के लिए भूमि खसरा नम्बर 734 में से 421 X 13 = 5473 वर्गफीट भूमि, खसरा नम्बर 745 में से 330 X 13 = 4290 वर्गफीट भूमि पर रास्ता कायम करने का आदेश पारित किया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण क्रम 1 लगायत 4 अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना उक्त आदेश पारित किया है । अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही अपीलान्ट कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए हैं । परीक्षण न्यायालय ने कैम्प कोर्ट में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 के खातेदारी की आराजी में आने–जाने का कदीमी रास्ता अपीलान्टगण की आराजी खसरा नम्बर 734 के पश्चिमी सरकारी भूमि के सहारे–सहारे लगभग 10 फुट चौडा सार्वजनिक रास्ता स्थित है जिस पर से ट्रेक्टर, बैलगाडी आदि आराम से आ जा रहे है, उक्त रास्ता आज भी मौजूद है जिसकी ताईद पत्रावली पर प्राप्त रिपोर्ट पर मौजूद होने के बावजूद रास्ता प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत रास्ता मौजूद व प्रचलित होने के उपरान्त सुविधा के लिये रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता । अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 734 के पूर्वी मेर पर से सुविधा अनुसार रेस्पोडेन्ट रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि अपीलान्ट की आराजी के पूर्वी मेर पर से होकर रेस्पोडेन्ट का कभी भी रास्ता नहीं रहा है । रास्ता जो प्रदान किया गया है जिससे अपीलान्ट की आराजी चारों ओर ही रेस्पोडेन्ट का रास्ता हो जावेगा जिससे अपीलान्ट को काफी असुविधा व क्षति होगी । अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट का न तो कोई नोटिस प्राप्त हुआ और न ही अपीलान्ट कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए हैं । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया है । परीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य की ओर से ध्यान दिया कि दिनांक 12.07.2021 की आदेशिका अनुसार रिपोर्ट तलब की गई तथा दिनांक 01.11.2021 को रिपोर्ट प्राप्त कर आदेश पारित कर दिया जबकि उक्त रिपोर्ट पर न तो अपीलान्ट को सूचना दी गई और न ही उक्त रिपोर्ट पर अपीलान्ट को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया । आदेशिका दिनांक 01.11.2021 से उसी दिन रिपोर्ट प्राप्त कर बहस सुनकर उसी दिन आदेश पारित कर दिया जो व्यावहारिक रूप से गलत है । अपीलान्ट को प्रस्तुत रिपोर्ट न तो उपलब्ध करवायी गई और न ही प्रस्तुत रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में तैयार की गई है जिस पर आपत्ति करने का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया साथ ही अपीलान्ट को जवाबदेही व बचाव में गवाह आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 रामावतार व अपीलान्ट क्रम 01 गीतादेवी के मध्य विवादित रास्ते के बाबत् पंच फैसला दिनांक 12.05.2021 को होने के बावजूद भी अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद

प्रस्तुत कर रखा है जिसमें रेस्पोडेन्ट उपस्थित होने के बावजूद भी दोनों प्रकरणों का निर्णय साथ नहीं करके त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में नियम 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, डीएनजे 2017 पेज 01, आरएलडब्ल्यू 2017 (1) पेज 162, आरआरटी 2022 (1) पेज 179, आरआरटी 2016 (1) पेज 649, आरआरटी 2021 (2) पेज 1286 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने रास्ते के सम्बन्ध में दिनांक 01.06.2020 को मौका रिपोर्ट तैयार की गई । उक्त मौका रिपोर्ट में बिन्दु संख्या 02 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थीगण के खेतों पर जाने–आने के लिए मौके पर रास्ता बना हुआ है जिस पर ग्रेवल पडा हुआ है । यह रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है जो लगभग 13 फीट चौडा है जो खसरा नम्बर 734 की पूर्व दिशा की मेड के सहारे है । दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर जाता है जिससे प्रार्थी खेतों पर आते–जाते रहते हैं । खसरा नम्बर 734 ग्राम ढाढूण में स्थित है जो गीतादेवी पत्नी विमल कुमार के खातेदारी में दर्ज है । अपीलान्ट लेखराज कैम्प कोर्ट में उपस्थित रहे हैं उनके उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं । दिनांक 04.12.2020 की मौका रिपोर्ट अपीलान्टगण की उपस्थिति में तैयार की गई है जिस पर अपीलान्टगण के उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं । रेस्पोडेन्टगण द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2021 की पालना में राशि जमा करवा दी है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2022 (1) पेज 196 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट में परीक्षण न्यायालय में धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया किया था कि ग्राम ढाढूण तहसील नैनवा जिला बून्दी में खाता संख्या नया 63 में खसरा नम्बर 724 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 725 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 731 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 732 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 753 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । प्रार्थीगण उक्त भूमियों के बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि पर आने–जाने तथा कृषि के उपकरण लाने ले जाने का सदैव या अपने पूर्वजों के समय से 100 वर्षों से भी अधिक पुराना रास्ता ग्रम चन्दनपुरा से ढाढूण जाने वाली आम डमरीकृत सडक में से होकर दक्षिण से उत्तर की ओर कृषि भूमि खसरा नम्बर 745, 734, 723, 733 व 725 के बीच स्थित मेड के सहारे – सहारे उत्तरी दिशा की तरफ स्थित खसरा नम्बर 724 तक पहुंचता है जो कदीमी रास्ता है । परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया । अप्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 ने दिनांक 28.10.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ।

12. प्रस्तुत प्रकरण को प्रशासन गॉवों के संग अभियान के तहत कैम्प कोर्ट मोडसा में रखते हुए निर्णय पारित किया है । पत्रावली में आदेशिका दिनांक 31.08.2021 पर नोटिस जारी होने का

अंकन है परन्तु पक्षकारान को नोटिस/सूचना होने की कोई जानकारी अंकित नहीं है । अपीलान्ट को कैम्प कोर्ट में उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस प्राप्त हुआ हो ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अपीलान्ट कैम्प कोर्ट में भी उपस्थित थे अथवा नहीं ? यह स्पष्ट नहीं किया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 04.12.2020 की मौका रिपोर्ट रास्ते के उपलब्धता के सम्बन्ध में स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है परन्तु उक्त मौका रिपोर्ट में यह अंकित है कि 40–45 वर्षों से खसरा नम्बर 734 की पूर्वी मेर के सहारे–सहारे रास्ता बना हुआ है । दिनांक 09.09.201 की मौका रिपोर्ट में केवल लेखराज के हस्ताक्षर हैं । जबकि रिकॉर्डेड खातेदार गीतादेवी है । प्रकरण में पूर्व में मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । पूर्व में अलग–अलग दिनांक 01.06.2020, 04.12.2020, 09.09.2021 की मौका रिपोर्ट संलग्न हैं । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में मात्र जिक्र किया है जबकि निर्णय स्पष्ट (Speaking) होना चाहिए । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए तथा निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अनुरूप स्पष्ट होना चाहिए । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.11.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर समयबद्ध रूप से पत्रावली प्राप्ति के 60 दिवस में विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 29.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा